न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 40 / 2022

श्री धर्म राज पुत्र शंकर लाल जाट निवासी 5 महाजनो का मोहल्ला ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर, टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 17.10.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.7.2022 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 797—98 दिनाक 18.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई.—

सोहेला ग्राम पंचायत मे स्थित कृषि भूमि के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अतर्गत निम्न सूचनाएं / जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम करे।

1. यह है कि क्या कृषि भूमि खसरा संख्या 475 / 2, गैर—कृषि कार्य हेतु स्वीकृत है यदि हां तो स्वीकृति पत्र की एक सत्यापित प्रति उपलब्ध करावे ।
2. यह है कि क्या कृषि भूमि खसरा संख्या 475 / 2 के गैर कृषि प्रयोजनार्थ कन्वर्जन हेतु कोई प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय में प्रक्रियाधीन है यदि हां तो उक्त के संबंध में आज दिनाक तक आपके कार्यालय की संपूर्ण नोटशीट मय प्रार्थनापत्र एवं सपोर्टेड सलंग्न दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति उपलब्ध करावे ।
3. यह है कि क्या कृषि भूमि खसरा नंबर 461 / 1, 462 / 1, 463 / 1, 464 / 1, 465 / 1 एवं 466 / 1 गैर—कृषि कार्य हेतु स्वीकृत है यदि हां तो स्वीकृति पत्र की एक सत्यापित प्रति उपलब्ध करावे ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक व लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार पीपलू को पत्र कमांक 1082—83 दिनांक 29.09.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू द्वारा पत्र कमांक आर.टी.आई./2022/... दिनांक 07.10.2022 से व लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र कमांक एफ 12 ( ) राजस्व / आर.टी.आई. / 2022 / 6947 दिनांक 07.10.2022 से जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.)

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक एफ 12( ) राजस्व/2022/6457 दिनांक 12.09.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:54:51 IST
Reason: SelfAttested